न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी—राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 05 / 2022 (2020 / 00701) दर्ज दिनांक 14.01.2022
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

महेन्द्र कुमार आत्मज रतनलाल चपलोत (जैन) निवासी देलाणा तहसील राहाड़ा जिला भीलवाड़ा। --प्रार्थी

बनाम

1. उषादेवी पत्नि शंकर लाल रेगर
2. कंचनदेवी पत्नि बंशीलाल रेगर
3. पिंकि पत्नि प्रकार खटीक
4. ममतादेवी पत्नि मनोहरलाल खटीक
   सर्व निवासी गंगापुर, तहसील राहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. कंचनदेवी पत्नि नाथुलाल खटीक
6. शिवकरण आत्मज घीसुलाल खटीक
7. सुगनादेवी पत्नि मदनलाल खटीक
   सर्व निवासी देवरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।
8. गंगादेवी पत्नि सत्यनारायण खटीक निवासी आमेट जिला राजसमंद
9. पतासीदेवी पत्नि सुरेश चन्द्र रेगर निवासी कांगणी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
10. रतनलाल आत्मज छोगालाल रेगर निवासी देवपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
11. ललिता देवी पत्नि गोविंद पंवार निवासी गंगापुर, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
12. शंकरलाल आत्मज गुलाब जाट निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
13. मनीष आत्मज भगवतीलाल नोलखा निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

—विपक्षीगण

उपस्थिति— अधिवक्ता प्रार्थीतः—श्री सुन्दर लाल माली

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः—22.03.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 5141 रकबा 0.30 हे0, 5540 रकबा 0.20 हे0, 5548 रकबा 0.14 हे0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.64 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 950 पर दर्ज होकर स्थित हैं। जिनकी जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1,2,4,6,9,11,12 बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा विपक्षी संख्या 3,5,7,8,10,13 की ओर से कोई दाद नहीं चाही गई। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण संख्या :—05 / 2022 (2020 / 00701)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम
ाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे
श्त की आराजी संख्या 5141 रकबा 0.30 हे0, 5540 रकबा 0.20 हे0, 5548 रकबा 0.14
कुल किता 03 कुल रकबा 0.64 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता
ख्या 950 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के
देश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना
सी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी
प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद
या जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450 / — (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा
रावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450 / — (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित
—अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को
हरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)

Scanned with OKEN Scanner